रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-94/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2005 (ज्येष्ठ 21, 1927)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2005 (JYAISTHA 21, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 729

भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 567

भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 7

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 821

भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं। *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 627

भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 307

भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1541

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 159

भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 729

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 567

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . 7

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 821

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 627

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 307

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1541

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 159

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्तर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2005

सं. 1/56/2004-विस्फो--औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक अधीनस्थ संगठन "विस्फोटक विभाग" अब "पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो)" के नाम से जाना जाएगा तथा "विस्फोटक विभाग" का "पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो)" में यह नाम परिवर्तन सभी मामलों में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 26 मई 2005

सं. ई. 11018/1/2004-रा.भा.--विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के गठन से संबंधित दिनांक 19 जनवरी, 2005 के समसंख्यक संकल्प का आंशिक संशोधन करते हुए "महासागर विकास विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है।"

संजीव नायर, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2005

संकल्प

सं. एल. 11012/4/2004-एल एण्ड एम--राज्य सहकारी मंत्रियों की दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने पिछले 100 वर्षों के दौरान सहकारी आंदोलन की उपलब्धियों की समीक्षा करने और परिवर्तनशील सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण में आंदोलन द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का पता लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करते हुए रोड मैप तैयार करने के लिए एक उच्च अधिकारिता समिति का गठन करने के लिए परस्पर निश्चय किया है। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में एक उच्च अधिकारिता समिति का गठन करने का निर्णय किया गया है। समिति का संघठन निम्न प्रकार से होगा :--

अध्यक्ष

1. श्री एस. जी. पाटिल

सदस्य

2. श्री एस. एस. सिसोदिया, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली

3. श्री एच. के. पाटिल, चेयरमैन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समिति संघ लिमिटेड, नई दिल्ली

4. डा. अमृता पटेल, चेयरपर्सन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, (गुजरात)

5. श्री वाई एस पी थोराट, प्रबंधन निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई

सदस्य सचिव

6. श्री सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव (सहकारिता), कृषि एवं सहकारिता विभाग

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :--

1. पिछले 100 वर्षों के दौरान सहकारी समितियों की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

2. सहकारी क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को अभिज्ञात करना और परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक वातावरण के साथ तालमेल रखने के लिए आंदोलन को समर्थ बनाने के लिए उनका पता लगाने के लिए उपायों के सुझाव देना।

3. सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी और व्यवसायिक कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए विचार से देश के सहकारी विधान में अपेक्षित परिवर्तनों और वैधानिक गठन तथा यथोचित नीति का सुझाव देना। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन।

4. समिति द्वारा कोई अन्य आकस्मिक अथवा आनुषंगिक विषयों पर जिन्हें आवश्यक समझा जाए, उन पर विचार करना।

3. समिति कार्याप्रणाली के लिए अपनी प्रक्रिया का निर्माण कर सकती है।

4. समिति द्वारा बुलाए जाने पर सरकारी प्रतिनिधियों और सहकारी हित का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्यों को अथवा किसी अन्य संगठनों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। किसी भी संगठन से संबंध न रखने वाले व्यक्तियों को जब कभी उन्हें भारत सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें भारत सरकार के क्लास I अधिकारियों को स्वीकार्य यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

5. समिति इस संकल्प की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प से सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 मई 2005

संकल्प

सं. ई-11015/1/99-हिन्दी--पूर्ववर्ती शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2000 के संकल्प संख्या ई-11015/1/99-हिन्दी के अधिक्रमण में भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के लिए निम्नलिखित अनुसार संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया है:--

1 सरकारी सदस्य

अध्यक्ष

1. शहरी विकास मंत्री

उपाध्यक्ष

2. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सदस्य

3. सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

4. सचिव (शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन), शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली

5. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

6. अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

7. संयुक्त सचिव (दिल्ली व भूमि), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

8. संयुक्त सचिव (एच ई पी ए), शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली

9. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

10. संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

11. आर्थिक सलाहकार शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

12. आर्बिट्रेटर शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

13. निदेशक (राजभाषा), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालयों के प्रमुख

सदस्य

14. महानिदेशक (निर्माण), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

15. निदेशक, सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली

16. निदेशक, मुद्रण निदेशालय, नई दिल्ली

17. भूमि तथा विकास अधिकारी, भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली

18. नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली

19. नियंत्रक, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता

20. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली

21. प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. नई दिल्ली

22. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि., नई दिल्ली

23. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली

24. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

25. अध्यक्ष, दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली

26. निदेशक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली

27. सचिव, राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्यालयों के प्रमुख

सदस्य

28. निदेशक, राष्ट्रीय भवन संगठन, नई दिल्ली

29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास और नगर विकास निगम, नई दिल्ली

30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान प्रीफैब लि., नई दिल्ली

31. कार्यकारी निदेशक, निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली

32. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली

33. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली

II. गैर सरकारी सदस्य

लोक सभा सदस्य

सदस्य

34. श्री पारसनाथ यादव, संसद सदस्य (लोक सभा)

35. श्री प्रदीप गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा)

राज्य सभा सदस्य

सदस्य

36. श्री जनार्दन द्विवेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा)

37. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा)

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

सदस्य

38. डॉ. सत्यानारायण जटिया, संसद सदस्य (लोक सभा)

39. श्रीमती वंगा गीता, संसद सदस्य (राज्य सभा)

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य

सदस्य

40. डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली

41. डॉ. पदमाकर पाण्डेय, प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी (उ. प्र.)

42. श्री एस. डी. रोहमेत्रा, मुख्य संपादक, डेली एक्सेलसियर, पोस्ट बाक्स नं. 74, एक्सेलसियर हाऊस, एक्सेलसियर लेन, जानीपुरा, जम्मूतवी-180 007

43. श्री जनक राज गुप्ता, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा), 7-एफ, व्हाइट हाऊस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली

44. सुश्री आशा शर्मा, 2, जेल रोड, गुडगांव (हरियाणा)-122 001

45. डॉ. रशमी बजाज, 154, विजय नगर, भिवानी (हरियाणा)-127 021

46. डॉ. यतीन्द्र तिवारी, अरमापुर पी.जी. कालेज, अरमापुर स्टेट, कानपुर (उ.प्र.)

47. श्री एम. जनार्दनन पिल्लै, केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुवनन्तपुरम (केरल)

48. श्री जितेन्द्र गुप्ता, ए-1, सुरभि काम्पलेक्स, एयरपोट रोड, विश्रान्तवाडी, पुणे-411015 (महाराष्ट्र)

सदस्य सचिव

49. संयुक्त सचिव (यू.डी. एवं प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

III. संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य क्षेत्र

समिति का कार्य शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को भारत के संविधान में निहित राजभाषा संबंधी उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों और निर्देशों तथा गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के संबंध में जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं उनके नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना है।

IV. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिये होगा, बशर्ते

(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं, जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, निधन आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

V. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति किसी अन्य स्थान पर भी अपनी बैठकें कर सकेगी।

VI. यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए राजभाषा विभाग के 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित अनुदेशों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दरों तथा यथासंशोधित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. राजामणि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 25th May 2005

No. 1/56/2004-Expl.—"Department of Explosives", a subordinate organization under the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India will now be known as "Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO)" and this change of name "Department of Explosives" into "Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO)" will be effective accordingly in all respects from the date of its publication in the Official Gazette.

N. N. PRASAD
Jt. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 26th May 2005

No. E-11018/1/2004-OL—In partial modification of the Resolution of even number dated 19th January, 2005 regarding the constitution of Joint Hindi Advisory Committee of the Ministry of Science & Technology and the Department of Ocean Development "the Joint Secretary (Admn.), Department of Ocean Development has been nominated as the member of the Joint Hindi Advisory Committee of the Ministry of Science & Technology and the Department of Ocean Development".

SANJIV NAIR
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)

New Delhi, the 10th May 2005

RESOLUTION

No. L-11012/4/2004-L&M—The conference of State Co-operative Ministers held on 7th December, 2004 at New Delhi, inter-alia, resolved to constitute a High Powered Committee to review the achievements of co-operative movement during the last 100 years, and prepare a road map recommending steps to be taken to address challenges being faced by the movement in the changing social and economic environment. In pursuance of the resolution passed in the conference and with the approval of the Competent Authority, it has been decided to constitute a High Powered Committee. The composition of the Committee will be as follows :

Chairman

1. Shri S. G. Patil

Members

2. Shri S. S. Sisodia, President, National Co-operative Union of India, New Delhi

3. Shri H. K. Patil, Chairman, National Federation of Urban Co-operative Banks & Credit Societies Ltd., New Delhi

4. Dr. Amrita Patel, Chairperson, National Dairy Development Board, Anand (Gujarat)

5. Shri Y.S.P. Thorat, Managing Director, National Bank for Agriculture & Rural Development, Mumbai

Member-Secretary

6. Shri Satish Chander, Joint Secy. (Co-operation), Deptt. of Agriculture & Co-operation

2. Terms of reference of the Committee are :

1. To review the achievements of the co-operatives during the last 100 years.

2. To identify the challenges being faced by the co-operative sector and to suggest measures to address them to enable the movement to keep pace with the changing socio-economic environment.

3. To suggest an appropriate policy and legislative framework and changes required in the co-operative legislation in the country with a view to ensure the democratic, autonomous and professional functioning of co-operatives. Amendments in the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.

4. Any other incidental or consequential issue as deemed necessary by the Committee for its consideration.

3. The Committee may devise its own procedure for functioning.

4. No TA/DA will be paid to the Government representatives and others representing co-operative interest or any other organisation called by the Committee. Persons not belonging to any organisation would be paid TA/DA admissible to Class-I Officers of the Government of India whenever invited to attend the meeting as per rules and instructions of Government of India.

5. The Committee will submit its report within a period of six months from the date of this Resolution.

ORDER

ORDERED that copy of the resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SATISH CHANDER, Joint Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110011, the 19th May 2005

RESOLUTION

No. E-11015/1/99-Hindi—In supersession of the erstwhile Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation's Resolution No. E-11015/1/99-Hindi dated 18th August, 2002, the Government of India have decided to constitute Joint Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Urban Development and Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation as under:—

I. Official Members

Chairman

1. Minister for Urban Development

Vice Chairperson

2. Minister of State (Independent Charge) for Urban Employment & Poverty Alleviation

Members

3. Secretary (UD), Ministry of Urban Development, New Delhi

4. Secretary (UEPA), Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, New Delhi

5. Secretary, D/o Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi

6. Additional Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi

7. Joint Secretary (D&L), Ministry of Urban Development, New Delhi

8. Joint Secretary (HEPA), Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, New Delhi

9. Joint Secretary, D/o Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi

10. Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Urban Development, New Delhi

11. Economic Advisor, Ministry of Urban Development, New Delhi

12. Arbitrator, Ministry of Urban Development, New Delhi

13. Director (OL), Ministry of Urban Development, New Delhi

Heads of Offices of the Ministry of Urban Development

14. Director General (Works), CPWD, New Delhi

15. Director, Directorate of Estate, New Delhi

16. Director, Directorate of Printing, New Delhi

17. Land & Development Officer, Land & Development Office, New Delhi

18. Controller, Department of Publication, New Delhi

19. Controller, Govt. of India Stationary Office, Kolkata

20. Chief Planner, Town & Country Planning Organisation, New Delhi

21. Managing Director, Delhi Metro Rail Corporation Ltd., New Delhi

22. Chairman & Managing Director, National Building Construction Corporation Limited, New Delhi.

23. Member Secretary, National Capital Region Planning Board, New Delhi

24. Vice Chairman, Delhi Development Authority, New Delhi

25. Chairman, Delhi Urban Art Commission, New Delhi

26. Director, National Institute of Urban Affairs, New Delhi

27. Secretary, Rajghat Samadhi Samiti, New Delhi

Heads of the Offices of the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation

28. Director, National Building Organisation, New Delhi

29. Chairman & Managing Director, Housing & Urban Development Corporation Limited, New Delhi

30. Chairman & Managing Director, Hindustan Prefeb Limited, New Delhi

31. Executive Director, Building Material Technology Promotion Council, New Delhi

32. Managing Director, National Co-operative Housing Federation, New Delhi

33. Chief Executive Officer, Central Government Employees Welfare Organisation, New Delhi

II. Non-Official Members

Members of Lok Sabha

34. Sh. Paras Nath Yadav, MP (Lok Sabha)

35. Sh. Pradeep Gandhi, MP (Lok Sabha)

Members of Rajya Sabha

36. Sh. Janardan Dwivedi, M.P. (Rajya Sabha)

37. Sh. Lalit Kishore Chaturvedi, M.P. (Rajya Sabha)

Members of Committee of Parliament of Official Language

38. Dr Satya Narayan Jatiya, M.P. (Lok Sabha)

39. Smt. Vanga Geetha, M.P. (Rajya Sabha)

Representative of Voluntary Organisations & others

40. Dr. Mahesh Chandra Gupta, Kenderiya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi

41. Dr. Padmakar Pandey, General Secretary, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi (U.P.)

42. Sh. S. D. Rohmetra, Editor-in-Chief, Daily Excelsior, P.B. No. 74, Excelsior House, Excelsior Lane, Janipura, Jammu Tawi-180007

43. Sh. Janak Raj Gupta, Ex M.P. (Lok Sabha), 7 F, White House, Bhagwan Das Road, New Delhi

44. Ms. Asha Sharma, 2, Jail Road, Gurgaon (Haryana)-122001

45. Dr. Rashmi Bajaj, 154, Vijay Nagar, Bhiwani (Haryana)-127021

46. Dr. Yatindra Tiwari, Armapur P.G. College, Armapur State, Kanpur (U.P.)

47. Sh. M. Janardanan Pillai, Kerala Hindi Prachar Sabha, Thiruvananthpuram (Kerala)

48. Sh. Jitendra Gupta, A-1, Surabhi Complex, Airport Road, Visharantvadi, Pune (Maharashtra)-411015

Member Secretary

49. Joint Secretary (U.D. & Administration), Ministry of Urban Development, New Delhi

III. Functions of the Joint Hindi Salahkar Samiti

The function of the Samiti is to render advice to the Ministry of Urban Development and Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation in regard to implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution of India, the Official Languages Act, Official Language rules, and policy decisions and directions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language, and also in regard to progressive use of Hindi in the official work of the Ministry of Urban Development, Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation and all their attached and subordinate offices, public sector undertakings, autonomous & Statutory bodies etc. under their control.

IV. Tenure

The term of the samiti will be 3 years from the date of its constitution provided that :—

(a) a member who is a member of Parliament shall cease to be the member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) ex-officio member of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

V. General

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

VI. Travelling and other allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances, for attending the meeting of the Samiti as per instructions issued by the Department of Official Language vide their O.M. No. II/20034/4/86-OL (A-2) dated 22.1.1987 and as per prescribed rates and rules as amended by Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., all the Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAJAMANI
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005